रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09072026-274303
CG-DL-E-09072026-274303

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 527] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2026/आषाढ 16, 1948
No. 527] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2026/ASHADHA 16, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 585(अ) .—केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 165 की उपधारा (1) और धारा 166 के साथ पठित धारा 174 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्रीय दावों के लिए दायित्व की सीमा) नियम, 2015 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्रीय दावों के लिए दायित्व की सीमा) नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. लागू होना- (1) अधिनियम की धारा 173 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, ये नियम निम्नलिखित पर लागू होंगे:

(क) प्रत्येक भारतीय जलयान; और

(ख) भारत में किसी पत्तन में प्रवेश करने या प्रस्थान करने वाला या तटीय समुद्र में प्रचालित होने वाला भारतीय जलयान से भिन्न प्रत्येक जलयान,

किंतु युद्धपोतों, नौसेना सहायक या किसी राज्य की सरकार द्वारा स्वामित्व या प्रचालन वाले और केवल गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु कुछ समय के लिए उपयोग किए गए अन्य पोतों पर लागू नहीं होगा।

(2) इन नियमों में कोई भी बात, जो परमाणु क्षति, अन्य विशिष्ट अभिसमयों के अधीन आने वाली तेल प्रदूषण क्षति, या विशेष अधिनियमितियों द्वारा शासित दायित्व के संबंध में भारत में प्रवृत्त किसी अन्य विधि के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें डूबने, नष्ट होने, फंसे हुए या परित्यक्त पोत, या जहाजी माल सहित किसी चीज़ को उठाने, हटाने, नष्ट करने या हानिरहित बनाने से संबंधित मामले शामिल हैं, जो ऐसे पोत पर हो या रहा हो।

3. परिभाषाएँ - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) "अभिसमय" से समुद्रीय दावों के लिए दायित्व की सीमा पर यथा संशोधित अभिसमय, 1976 अभिप्रेत है ;

(ग) "दायित्व" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 162 के स्पष्टीकरण 2 के खंड (क) में उसका है और इसमें धारा 162 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट दावे शामिल माने जाएंगे;

(घ) दायित्व की सीमा के संबंध में "समुद्रीय दावा", से अधिनियम की धारा 162 की उप-धारा (1) में अभिप्रेत है;

(ङ) "पोत स्वामी" से समुद्र में चलने वाले पोत का स्वामी, चार्टरर, प्रबंधक और प्रचालक; अभिप्रेत है, और

(च) "टन भार" से अधिनियम के अधीन बनाए गए लागू नियमों के अनुसार संगणित सकल टन भार अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

4. समुद्रीय दावों के लिए दायित्व की सीमा - (1) अधिनियम की धारा 162 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो यात्री दावों से भिन्न किसी विशिष्ट अवसर पर उत्पन्न होने वाले समुद्रीय दावों के लिए अपने दायित्व को सीमित करना चाहता है, उसकी संगणना निम्नलिखित रीति से की जाएगी, अर्थात्: -

(क) मृत्यु होने या वैयक्तिक क्षति के दावों के संबंध में, -

(i) 2000 टन से अनधिक टन भार वाले पोत के लिए लेखे की 3,020,000 इकाईयां;

(ii) 2000 टन से अधिक टन भार वाले पोत के लिए, खंड (क) के उप-खंड (i) में उल्लिखित के अतिरिक्त निम्नलिखित रकम, -

(अ) 2,001 से 30,000 टन तक के प्रत्येक टन के लिए, लेखे की 1208 इकाईयां;

(आ) 30,001 से 70,000 टन तक के प्रत्येक टन के लिए, लेखे की 906 इकाईयां; और

(इ) 70,000 टन से अधिक प्रत्येक टन के लिए, लेखे की 604 इकाईयां ।

(ख) किन्हीं अन्य दावों के संबंध में, -

(i) 2000 टन से अनधिक कम टन भार वाले पोत के लिए लेखे की 1,510,000 इकाईयां;

(ii) 2,000 टन से अधिक टन भार वाले पोत के लिए, खंड (ख) के उप-खंड (i) में उल्लिखित के अतिरिक्त निम्नलिखित रकम:

(अ) 2,001 से 30,000 टन तक प्रत्येक टन के लिए, लेखे की 604 इकाईयां;

(आ) 30,001 से 70,000 टन तक के प्रत्येक टन के लिए, लेखे की 453 इकाईयां; और

(इ) 70,000 टन से अधिक प्रत्येक टन के लिए, लेखे की 302 इकाईयां ।

(2) जहां उप-नियम (1) के खंड (क) के अनुसार संगणित रकम उसमें उल्लिखित दावों का पूर्ण संदाय करने के लिए अपर्याप्त है, वहां उप-नियम (1) के खंड (ख) के अनुसार संगणित रकम उप-नियम (1) के खंड (क) के अधीन दावों की असंदत्त अतिशेष रकम संदाय के लिए उपलब्ध होगी, और ऐसी असंदत्त अतिशेष रकम उप-नियम (1) के खंड (ख) के अधीन उल्लिखित दावों के साथ अनुपातिक रूप में होगी।

(3) किसी भी पोत से काम नहीं करने वाले किसी भी उबारक के लिए या केवल किसी पोत पर ही काम करने वाले किसी उबारक के लिए, या जिसके संबंध में वह बचाव सेवाएं प्रदान कर रहा है, दायित्व की सीमा की संगणना 1,500 टन के टनभार के अनुसार की जाएगी।

(4) किसी पोत के यात्रियों को हुई मृत्यु या वैयक्तिक क्षति के लिए किसी विशिष्ट अवसर पर उत्पन्न होने वाले दावों के संबंध में, पोत स्वामी के दायित्व की सीमा लेखे की 1,75,000 इकाइयों को पोत के लिए जारी किए गए यात्री प्रमाण पत्र के अनुसार पोत को ले जाने के लिए अधिकृत यात्रियों की संख्या से गुणा करके कोई रकम होगी।

5. लेखे की इकाईयां - (1) इन नियमों में निर्दिष्ट लेखे की इकाइयाँ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा यथा परिभाषित विशेष आहरण अधिकार हैं।

(2) लेखे की इकाईयों को भारतीय रुपये में ऐसे विशेष आहरण अधिकारों के रूप में आधिकारिक मूल्य के अनुसार संपरिवर्तित किया जाएगा, जो अधिनियम की धारा 168 के अधीन निधि के गठन की तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाएं।

[फा. सं. एसवाई-19014/192/2025-एमजी-भाग(1)]

मुकेश मंगल, अपर सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2026

G.S.R. 585(E).— In exercise of the powers conferred by section 174 read with sub-section (1) of section 165 and section 166 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025), and in supersession of the Merchant Shipping (Limitation of Liability for Maritime Claims) Rules, 2015, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely: –

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Limitation of Liability for Maritime Claims) Rules, 2026.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. — (1) Subject to the provisions of section 173 of the Act, these rules shall apply to,

(a) every Indian vessel; and

(b) every vessel, other than an Indian vessel, entering or departing a port in India or operating in the coastal waters,

but shall not apply to warships, naval auxiliary or other ships owned or operated by the government of any State and used for the time being, only for non-commercial purposes.

(2) Nothing in these rules shall affect the operation of any other law in force in India in respect of nuclear damage, oil pollution damage covered under other specific conventions, or liability governed by special enactments, including matters relating to the raising, removal, destruction or rendering harmless of a ship that is sunk, wrecked, stranded or abandoned, or of anything, including cargo, that is or has been on board such ship.

3. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025);

(b) "Convention" means the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976, as amended;

(c) "liability" shall have the meaning assigned to it in clause (a) of *Explanation* 2 to section 162 of the Act and shall be deemed to include claims specified in sub-section (1) of section 162;

(d) "maritime claim", in relation to limitation of liability, means a claim as specified in sub-section (1) of section 162 of the Act;

(e) "ship owner" means the owner, charterer, manager, and operator of a sea-going ship; and

(f) "tonnage" means the gross tonnage, calculated in accordance with the applicable rules made under the Act.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

4. Limitation of liability for maritime claims. — (1) Any person referred to in section 162 of the Act, who seeks to limit their liability for maritime claims other than passenger claims, arising on any distinct occasion, shall be calculated in the following manner, namely:—

(a) In respect of claims for loss of life or personal injury, —

(i) 3,020,000 Units of Account for a ship with a tonnage not exceeding 2000 tons;

(ii) For a ship with a tonnage in excess of 2000 tons, the following amount in addition to that mentioned in sub-clause (i) of clause (a), —

(A) For each ton from 2,001 to 30,000 tons, 1208 Units of Account;

(B) For each ton from 30,001 to 70,000 tons, 906 Units of Account; and

(C) For each ton in excess of 70,000 tons, 604 Units of Account.

(b) In respect of any other claims, —

(i) 1,510,000 Units of Account for a ship with a tonnage not exceeding 2000 tons;

(ii) For a ship with a tonnage in excess of 2,000 tons, the following amount in addition to that mentioned in sub-clause (i) of clause (b):

(A) For each ton from 2,001 to 30,000 tons, 604 Units of Account;

(B) For each ton from 30,001 to 70,000 tons, 453 Units of Account; and

(C) For each ton in excess of 70,000 tons, 302 Units of Account.

(2) Where the amount calculated in accordance with clause (a) of sub-rule (1) is insufficient to pay the claims mentioned therein in full, the amount calculated in accordance with clause (b) of sub-rule (1) shall be available for payment of the unpaid balance of claims under clause (a) of sub-rule (1), and such unpaid balance shall rank rateably with the claims mentioned under clause (b) of sub-rule (1).

(3) The limit of liability for any salvor not operating from any ship or for any salvor operating solely on the ship to, or in respect of which he is rendering salvage services, shall be calculated according to a tonnage of 1,500 tons.

(4) In respect of claims arising on any distinct occasion for loss of life or personal injury to passengers of a ship, the limit of liability of the ship owner shall be an amount of 1,75,000 Units of Account multiplied by the number of passengers which the ship is authorised to carry according to the passenger certificate issued for the ship.

5. Units of accounts. — (1) The units of account referred to in these rules are the special drawing rights, as defined by the International Monetary Fund.

(2) The units of account shall be converted into Indian rupees according to the official value in rupees of the special drawing rights as determined by the Reserve Bank of India on the date of constitution of the fund under section 168 of the Act.

[F. No. SY-19014/192/2025-MG-Part(1)]

MUKESH MANGAL, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.07.09 16:34:33 +05'30'